

उत्तर प्रदेश शासन  
वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-1  
संख्या-3 /2018-वे0आ0-1-385/दस-2018-6(एम)/2016  
लखनऊ दिनांक 16 अप्रैल, 2018

संशोधन-आदेश

इस अनुभाग द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या-1/2018/वे0आ0-1-340/दस-2018-6(एम)/2016, दिनांक 12 अप्रैल, 2018 की दूसरी पंक्ति में त्रुटिवश दिनांक 05 दिसम्बर, 2018 टंकित हो गया है जो वास्तव में दिनांक 05 दिसम्बर, 2017 है। अतः इस दिनांक को 05 दिसम्बर, 2017 पढ़ा जाय।

2- उक्त शासनादेश संख्या-1/2018/वे0आ0-1-340/दस-2018-6(एम)/2016, दिनांक 12 अप्रैल, 2018 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाय।

मनोज कुमार जोशी,  
विशेष सचिव।

संख्या-3/2018-वे0आ0-1-385(1)/दस-2018, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-2, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
- 2- सचिवालय में तैनात अखिल भारतीय सेवा के समस्त अधिकारी।
- 3- प्रभारी, निकनेट सेल, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश सचिवालय, लखनऊ।
- 4- वित्त (सामान्य) अनुभाग-3
- 5- महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।

आज्ञा से,

के0एल0 वर्मा  
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।